न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 171/2022 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हुकमसिंह पुत्र बरतसिंह जाति पुरोहित, निवासी लखा तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर		1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. देरावरसिंह पुत्र रिड़मलसिंह 3. पाबुदानसिंह पुत्र रिड़मलसिंह 4. लाभूसिंह पुत्र रिड़मलसिंह जाति पुरोहित, निवासी लखा तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर 5. शाखा प्रबंधक, बैक ऑफ इण्डिया, शाखा शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थी – श्री ईश्वरसिंह भाटी।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 से 4 – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 23.08.2024

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की खेत मौजा सरस्वती नगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 229/191 रकबा क्रमशः 12.9499 हैक्टेयर का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी के सेढासेढ विप्रार्थी संख्या 2 से 4 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 190/137 रकबा 11.3312 हैक्टेयर आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण द्वारा पूर्व खातेदार से क्रय की जाकर वक्त खरीद बैचान दस्तावेज अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की पैमाईश करवाई तब सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि बैचान दस्तावेज एवं मौके पर प्रार्थी के कब्जा की स्थिति समान है परन्तु लट्ठा नक्शा की तरमीम अलग है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा नक्शा में बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये एवं बिना बैचान दस्तावेज देखे गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् का कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणियां प्रभावित हो रही है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। उक्त दिनांक 02.01.2023 को तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अस्पष्ट होने पर पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त उक्त पुनः मौका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2024 अनुसार मौके पर खातेदारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान पक्षकारान् के कब्जा काश्त एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। बैचान दस्तावेज अनुसार पूर्व दिशा में इसी खसरा नम्बर की शेष भूमि होना बताया गया है, जबकि वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम ग्राम बालासर की सरहद तक की गई है। विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बैचान दस्तावेज में पड़ौसी खसरा नम्बर 138 अंकित है। उभयपक्ष की मौके की स्थिति बैचान दस्तावेज में अंकित सेढा पड़ौसियान के अनुसार ही है। खसरा नम्बर 229/191 के खातेदार वर्तमान में खसरा नम्बर 187/137, 190/137, 192/138, 141, 230/191 के मध्य काबिज है तथा खसरा नम्बर 190/137 के खातेदार खसर नम्बर 268/189, 138, 229/191 तथा मूल ग्राम बालासर की सरहद के मध्य काबिज है। तहसीलदार शिव की जांच रिपोर्ट अनुसार मौका स्थिति एवं बैचान दस्तावेज का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम गलत है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार शिव द्वारा वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त एवं बैचान दस्तावेज अनुसार मौका फर्द के संलग्न प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है। विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर उक्त तरमीम दुरस्ती का आवेदन मेंटेबल नहीं होने तथा प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं करने एवं प्रार्थी तरमीम दुरस्ती का अधिकारी नही होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है तथा मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त विवादित आराजी की तरमीम 50–52 वर्ष पूर्व वक्त क्रय की हुई तरमीम को निरस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी नहीं होने तथा उक्त आवेदन मेन्टेबल नहीं होने से आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार एवं बैचान दस्तावेज अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर विद्यमान पक्षकारान् के कब्जा काश्त एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। उभयपक्ष की मौके की स्थिति बैचान दस्तावेज में अंकित सेढा पड़ौसियान के अनुसार ही है। खसरा नम्बर 229/191 के खातेदार वर्तमान में खसरा नम्बर 187/137, 190/137, 192/138, 141, 230/191 के मध्य काबिज है तथा खसरा नम्बर 190/137 के खातेदार खसर नम्बर 268/189, 138, 229/191 तथा मूल ग्राम बालासर की सरहद के मध्य काबिज है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती को स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट गलत होने तथा प्रार्थी उक्त तरमीम दुरस्ती करवाने का अधिकारी नहीं होने का कथन करते हुए आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। चूंकि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के वर्तमान लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त एवं बैचान दस्तावेज अनुसार नहीं है, जिसे प्रार्थी अपनी खातेदारी की तरमीम दुरस्ती करवाने का अधिकारी है। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वर्तमान तरमीम सही होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त एवं बैचान दस्तावेज अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सरस्वती नगर, तहसील शिव में प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 229/191 रकबा 12.9499 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की खातेदारी के खसरा नम्बर 190/137 रकबा 11.3312 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा में बैचान दस्तावेज एवं मौके की स्थिति अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी, शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 23.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner